न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

COURT FEE INDIA ONE RUPEE

R 1233-II/06

शाकिरी पत्नी रामसिया खटिक ग्राम कोनिया तह0त्योंथर जिला रीवा म0प्र0

~~अपीलार्थिया~~ निगरानीकर्ता

बनाम्

रामखेलावन तनय जगन्नाथ खटिक ग्राम ललवा तह0त्योंथर जिला रीवा म0प्र0

~~उत्तरवादी~~ गैर निगरानीकर्ता

~~अपील~~ निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय रीवा संम्भाग रीवा प्र0क्र0 567 अपील 99-2000 में पारित आदेश दिनांक 17.4.06 अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं01959ई0

मान्यवर,

प्रकरण के सूक्ष्म तथ्य निम्नानुसार हैं:-----

1:- यह कि उत्तरवादी रामखेलावन ने ग्राम पंचायत ललवा के प्रस्ताव क्र.4 नामान्तरण पंजी क्र.17 में पारित आदेश दिनांक 10.12.98 के द्वारा पूर्व हल्का पटवारी से सॉठ गॉठ कर ग्राम ललवा की आ0नं0 263/1 रकबा 0.58ए0 की काल्पनिक प्रविष्टि करा लिया जिसे अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर एवं अपर आयुक्त महोदय रीवा संम्भाग रीवा ने स्वीकार कर लिया।

2:- यह कि पूर्व भूमिस्वामी ददोली जो उत्तरवादी का कोई वारिश नहीं है। तथा पटवारी द्वारा काल्पनिक प्रविष्टि जबकि ददोली उस समय जीवित था

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1233–दो/2006 जिला रीवा

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही अथवा आदेश | पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 16–03–2017 | उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों। पर विचार किया।<br>2/ प्रकरण का अवलोकन किया। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि आवेदक द्वारा मृतक ददोली को पक्षकार बनाकर आदेश पारित कराया है। मृत व्यक्ति को न तो पक्षकार बनाया जा सकता है और न ही उसके विरूद्ध कोई आदेश पारित किया जा सकता है। अनावेदक के पक्ष में दिनांक 10–12–98 को नामांतरण आदेश पारित किया गया था। इसके बाद अनावेदक भूमिस्वामी के रूप में दखल में है। यदि आवेदक उक्त भूमि ने संबंध में नामांतरण आवेदन किया था तो उसे अनावेदक को पक्षकार बनाकर बनाकर आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए था। तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 109/110 का पूर्णरूप से पालन किये बिना त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने निरस्त करने में उचित कार्यवाही की है। अपर आयुक्त द्वारा भी अनुविभागीय अधिकारी को सही पाते हुये अपील निरस्त की है। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–4–2006 में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है। फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होन से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।<br>(एस0एस0 अली)<br>सदस्य | |